



डा० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
उत्तर प्रदेश सरकार

पत्रांक : ०२० / फा०सं०-१९७ / विविध / DSMNRU / २०२३-२४

दिनांक : ०८ अगस्त, २०२३

// कार्यालय ज्ञाप //

संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-१, उ० प्र० शासन के पत्रांक: आई-३५१८८५ / ६५-१०९९ / ४८ / २०२२, दिनांक ११ जुलाई, २०२३ द्वारा महिला कल्याण अनुभाग-३ उ० प्र० शासन के पत्र संख्या-आई- ३४७१०० / २०२३ / ६०-३०९९ / ४४ / २०२३, दिनांक ११ जुलाई, २०२३ के साथ संलग्न मा० उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील नं० २४८२ / २०१४ Aureliano Fermades Vs State of Goa & Ors. द्वारा महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिशोध और प्रतितोष) अधिनियम, २०१३ में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत आन्तरिक शिकायत समिति के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

अतः समिति से अपेक्षा है कि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील नं० २४८२ / २०१४ Aureliano Fermades Vs State of Goa & Ors. द्वारा दिये गये निर्देश का अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न-आदेश की प्रति।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वैयक्तिक सहायक कुलपति, मा० कुलपति महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
2. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
3. संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-१, उ० प्र० शासन को उनके पत्र आई- ३५१८८५ / ६५-१०९९ / ४८ / २०२२, दिनांक ११ जुलाई, २०२३ के क्रम में सूचनार्थ।
4. समस्त अधिष्ठाता / विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय।
5. अध्यक्ष, आन्तरिक शिकायत समिति, विश्वविद्यालय।
6. समस्त अधिकारीगण / कर्मचारीगण।
7. सिस्टम एनालिस्ट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड हेतु
8. नोटिस बोर्ड / गार्ड फाइल।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव



डा० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
 उत्तर प्रदेश सरकार

पत्रांक: ७६७/फा०सं०-२४०/स्था०/डा.श.मि.रा.पु.वि./२०२१-२२,

दिनांक: २४ अगस्त, २०२१

:: कार्यालय ज्ञाप ::

विश्वविद्यालय के पत्रांक: ७२/फा०सं०-२४०/डा.श.मि.रा.पु.वि./२०२१-२२, दिनांक: २४ अगस्त, २०२१ द्वारा गठित "कामकाजी महिला उत्पीड़न प्रतिरोध शिकायत समिति" को अर्पणित करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम २०१६ में विहित व्यवस्थानुसार ०३ वर्षों के लिए "आन्तरिक शिकायत समिति" का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

- | | | |
|---|--|----------------------------|
| १ | प्रो० सुदर्शन वर्मा
आचार्य, विधि विभाग
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), लखनऊ। | अध्यक्ष |
| २ | डॉ० अर्चना सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर, समाज कार्य
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ। | सदस्य सचिव |
| ३ | डॉ० यशवंत कुमार वीरदय
असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ। | सदस्य |
| ४ | डा० नीती राय
कनिष्ठ सहायक
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ। | सदस्य |
| ५ | डॉ० कमलेश यादव
चिकित्सा अधीक्षक
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ। | सदस्य |
| ६ | श्रीमती लवलीन गुप्ता
अध्यक्ष, पारस फाउंडेशन
८४७-बी/बी-७८, जानकीपुरम गार्डन,
नियर गुडम्बा धाना, लखनऊ। | सदस्य
(नै-सरकारी संगठन) |

इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम २०१६ के विन्धु संख्या-४(स) के अनुसार यदि किसी मामले में छात्र शामिल होंगे, तो विहित व्यवस्थानुसार पारदर्शी लोकतांत्रिक प्रणाली द्वारा छात्रों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जायेगा।

उपरोक्त गठित समिति से अपेक्षित है कि विश्वविद्यालय में कार्यरत महिला कर्मिकों के उत्पीड़न से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त होने पर कृत कार्यवाही के अन्तर्गत निम्नलिखित सुझाव अद्योहस्ताक्षरी को सीधे प्रस्तुत करेंगी।

(प्रो० अरुण को प्रो० सिंह)
कुलपति

कृष्णकन संख्या व दिनांक समवेतानुसार।

संक्षिप्त निम्नलिखित को सुझाव एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. प्रो० कुलपति, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), लखनऊ।
२. प्रो० सुदर्शन वर्मा, आचार्य, विधि विभाग, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), लखनऊ।
३. विस्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
४. समस्त संकाय/अध्यापक/विभागाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष।
५. समस्त अधिकारीगण, विश्वविद्यालय।
६. समिति के मागित समस्त सदस्यगण।
७. समस्त कर्मचारीगण।
८. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
९. गार्ड फाइल।

(सुजय सिंह)
सहायक कुलपति



डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
उत्तर प्रदेश सरकार

पत्रांक: 951 / फा0सं0-240 / स्था0 / डा.श.मि.रा.पु.वि. / 2021-22,

दिनांक 09 सितम्बर, 2021

:: कार्यालय ज्ञाप ::

विश्वविद्यालय के पत्रांक: 887 / फा0सं0-240 / डा.श.मि.रा.पु.वि. / 2021-22, दिनांक: 28 अगस्त, 2021 द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2018 में विहित व्यवस्थानुसार 03 वर्षों के लिए गठित "आन्तरिक शिकायत समिति" में गैर-सरकारी संगठन के नामित सदस्य द्वारा दिये गये त्याग-पत्र के क्रम में आन्तरिक शिकायत समिति में श्रीमती मनप्रीत कालरा, सचिव, दिव्यांग डेवलपमेन्ट सोसाइटी, कानपुर को गैर-सरकारी संगठन के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है।

शेष विश्वविद्यालय के पत्रांक: 887 / फा0सं0-240 / डा.श.मि.रा.पु.वि. / 2021-22, दिनांक: 28 अगस्त, 2021 द्वारा गठित समिति पूर्ववत् रहेगी।

(प्रो० आर० के० पी० सिंह)
कुलपति

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रो० सुदर्शन वर्मा, अध्यक्ष, आन्तरिक शिकायत समिति, डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
3. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/शिक्षकवृन्द, विश्वविद्यालय।
4. समस्त अधिकारीगण, विश्वविद्यालय।
5. समिति के नामित समस्त सदस्यगण।
6. श्रीमती मनप्रीत कालरा, सचिव, दिव्यांग डेवलपमेन्ट सोसाइटी, कानपुर।
7. श्रीमती लवलीन गुप्ता, अध्यक्ष, पारस फाउंडेशन, लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 08.09.2021 के क्रम में सूचनार्थ।
8. समस्त कर्मचारीगण।
9. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. गार्ड फाइल।

(पुजेन्द्र सिंह)
सहायक कुलसचिव